न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या – 61/2020(राजस्व वाद) तारीख दायर – 2.11.2020

तारीख फैसल – 09-02-2021

अनवान

1– श्री नारायणलाल पिता अमृतलाल जोशी निवासी त्रिवेदी फला जेठाणा

2– श्री रमेशचन्द्र पिता अमृतलाल जोशी निवासी त्रिवेदीफला जेठाणा

(वादीगण)

बनाम

1– श्रीमान राजस्थान सरकार भूमिधारी मार्फत तहसीलदार सागवाडा ।

(प्रतिवादी)

वकील वादी – श्री निखील सोमपुरा

वकील प्रतिवादी – पैरोकार सरकार

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती करने अन्तर्गत 136 राज0.लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि मोजा जेठाणा तहसील सागवाडा में खाता संख्या 440/428 कुल खसरा 14 रकबा 1.2454 हे0 की संयुक्त खातेदारी की स्थित है । यह कि प्रार्थी नारायणलाल को घर पर प्यांर से नटवरलाल एंव प्रार्थी रमेशचन्द्र को घर पर प्यांर से राजू कहा जाता था जिसके चलते वक्त विरासती नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रूटि वश प्रार्थीगण के घर पर मुँह बोले नाम नटवरलाल एवं राजू खाते में दर्ज रेकार्ड हो गए जबकि प्रार्थीगण के वास्तविक नाम नारायणलाल एवं रमेशचन्द्र है । प्रार्थीगण के समस्त आवश्यक पहचान के दस्तावेजों में प्रार्थीगण के वास्तविक नाम नारायणलाल एंव रमेशचन्द्र का ईन्द्राज है ओर प्रार्थीगण को इन्ही नामों से ही जाना व पहचाना जाता है । यह कि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि मौजा जेठाना तहसील सागवाडा के खाता संख्या 440/428 कुल खसरा 14 रकबा कुल 1.2454हे0 की संयुक्त खातेदारी की स्थित है में त्रूटि से गलत नाम नटवरलाल एवं राजू अंकित हो गया है जो कि गलत है ,प्रार्थीगण का वास्तविक नाम नारायणलाल एंव रमेशचन्द्र है। प्रार्थीगण के राजस्व रेकार्ड में सही नाम ईन्द्राज किए जाना न्यायहित में आवश्यक है ।यह कि वादपत्र के कलम संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है ।यह कि उक्त खाते में प्रार्थीगण का सही नाम अंकित करने में अन्य

सहखातेदारान को कोई आपत्ति नही है जिनका सहमति पत्र वादपत्र के साथ पेश किया गया है । वाद के अन्त में वादपत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का सही नाम नारायणलाल एंव रमेशचन्द्र दर्ज किया जाने निवेदन किया गया है ।

वाद पत्र के साथ वादीगण द्धारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता संख्या 440 / 428,खसरा गिरदावरी ,नक्शाट्रैस, प्रार्थीगण के मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं सहखातेदारान का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किया गया ।

प्रतिवादी तहसीलदार भूमिधारी का जवाब जरिये कमांक 67 दिनांक 13. 1.2021 प्राप्त हुआ ।जवाब में प्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड में नाम गलत अंकित होना बताते हुए सही नाम दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नही कर सकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया है ।

जवाब प्रस्तुत होने पर वकील वादीगण एंव पैरोकार द्धारा साक्ष्य एंव बहस नही करते हुए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर निर्णय हेतु सहमति व्यक्त की गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी मोजा जेठाना खाता संख्या 440 / 428संवत 2074–77 कुल खसरे 14 रकबा कुल 1. 2454 हे0 में खातेंदारान के स्थान पर कम संख्या 2 में नटवरलाल पुत्र अमृतलाल एंव कम संख्या 5 पर राजू पुत्र अम्रतलाल अंकित है । प्रार्थीगण उक्त दोनो नाम त्रूटि से गलत अंकित होने से सही नाम नटवरलाल के स्थान पर नारायणलाल एवं राजू के स्थान पर रमेशचन्द्र राजस्व रेकार्ड में अंकित कराना चाहते है। खाते में दर्ज अन्य सहखातेदारान को उक्त दोनो सहखातेदारान के नाम संशोधित किए जाने में कोई आपत्ति नही होकर सहमती व्यक्त कर पत्रावली में सहमती पत्र प्रस्तुत किया गया है । वादीगण द्धारा अपने कथन की पुष्टि में मतदाता पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई है जिसमें नाम नारायणलाल एंव रमेशचन्द्र अंकित है । वाद पत्र के अनुसार वादीगण को सही नाम नारायणलाल एंव रमेशचन्द्र के नाम से ही पहचानते है।

अतःवाद वादीगण का स्वीकार एवं डिकी किया जाकर मोजा जेठाना की जमाबन्दी खाता संख्या 440 / 428 संवत 2074–77 कुल खसरे 14 रकबा कुल 1.2454 हे0 में सहखातेंदारान कम संख्या 2 में नटवरलाल पुत्र अमृतलाल एंव कम संख्या 5 पर राजू पुत्र अम्रतलाल के स्थान पर सही नाम कम संख्या 2 पर

नारायणलाल पिता अमृतलाल एंव कम संख्या 5 पर रमेशचन्द्र पिता अमृतलाल अंकित कर संशोधन किया जाने तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है।

डिकी पर्चा जारी हो । निर्णय आज दिनांक 09-02-2021 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा